न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—341/2015/223 (2015/00347)

1. सुगनचन्द पुत्र सुवालाल, जाति जाट, नि0 ग्राम सनोद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 15.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 212/2012.

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 21.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं अंतर्गत धारा 136 राज0भू—राजस्वत अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद, तहसील नसीराबाद स्थित साबिक खसरा नंबर 3164 रकबा 1—5—10 किस्म बारानी—2 जिसको दिनांक 23.1.1978 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा पोखर पुत्र चतरा से क्रय की जिसका पंजीयन उप पंजीयक, अजमेर के यहां दिनांक 13.2.1978 को पंजीबद्ध किया गया था तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 807 दिनांक 23.5.1987 को तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा वादी के पक्ष में अंकित किया गया तब से लेकर वर्किंग जमाबंदी तक वादी ही उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है परन्तु सहवन से वर्तमान जमाबंदी मे साबिक खसरा नंबर 3164 के हाल खसरा नंबर 4366 रकबा 0.21 है0 बनाये गये जिसे भू—प्रबंध विभाग की कार्यवाही के दौरान सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है । इसलिये वादी का वाद पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर व नामांतकरण संख्या 807 दिनांक 23.5.1987 व वर्किंग जमाबंदी के आधार पर डिक्री किया जाकर हाल खसरा नंबर 4366 रकबा 0.21 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस

निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज करते समय इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज किया कि जब साबिक खसरा नंबर 3164 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जिसे वादी ने पोखर पुत्र चतरा से क्रय की थी जिसका पंजीयन किया गया तथा विक्रय पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 807 दिनांक 23.5.1987 को तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसके आधार पर वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इस प्रकार सहवन से उक्त आराजी का अंकन आधार जमाबंदी अर्थात् वर्तमान जमाबंदी बनाते समय सिवायचक अंकित कर दिया गया है जिसकी उद्घोषणा वादी के पक्ष में की जाकर खसरा नंबर 4366 रकबा 0.21 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित था परन्तु अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअंदाज किया कि वाद में अंकित कथनों के अनुसरण में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में था क्योंकि साबिक खसरा नंबर 2164 के बने हाल खसरा नंबर 4366 रकबा 0.21 है0 पर वादी ही काबिज है तथा उक्त भूमि वर्किंग जमाबंदी में भी वादी के नाम दर्ज रही है किन्तु बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के भू–प्रबंध विभाग ने उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं था । भू–प्रबंध विभाग द्वारा किया गया उक्त गलत इंद्राज वाद के माध्यम से दुरूस्त किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने वर्किंग जमाबंदी का सही विवेचन नहीं कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी वादी ने प्रतिफल देकर क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है विवादित आराजी सहवन से सिवायचक दर्ज की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 3164 रकबा 1–5–10 बीघा भूमि अपीलांट ने खातेदार पोखर पुत्र चतरा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.1.1978 को क्रय की है तथा उक्त विक्रय के आधार पर अपीलांट के पक्ष में तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा नामांतकरण संख्या 807 दिनांक 23.5.1987 को स्वीकृत किया गया है । पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 3164 रकबा 1–5–10 बीघा भूमि के नवीन खसरा नंबर 4366 रकबा 0.21 है0 कायम किये गये है । जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रतिवादी राज्य सरकार के द्वारा जवाब प्रस्तुत

किया गया है । अधी0न्याया0 ने वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर वाद में तनकियात कायम नहीं की तथा वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वादी को सरसरी तौर पर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को वाद में वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादी को निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर